

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शितसंगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत उत्तरवाही दखिनवाही आहर सिंचाई योजना हेतु कुल- 170.042 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख चार हजार दो सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत उत्तरवाही दखिनवाही आहर सिंचाई योजना हेतु कुल-170.042 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख चार हजार दो सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	उत्तरवाही दखिनवाही आहर सिंचाई योजना	गया	गुरुआ	170.042	215

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि0(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

477

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

477

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

477

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत मुराही आहर योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल- 139.470 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख सैंतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत मुराही आहर योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-139.470 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख सैंतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	मुराही आहर योजना का जीर्णोद्धार कार्य	गया	गुरुआ	139.470	144

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटन निदेश उपलब्ध योजना उद्ब्य एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-16/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

ज्ञापांक-

478

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

478

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

478

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024

पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:-

विषय:-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत जरही, बेलवा हरिनारायणपुर पिण्ड आहर पर्इन सिंचाई का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल- 192.460 लाख (एक करोड़ बानवे लाख छियालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत जरही, बेलवा हरिनारायणपुर पिण्ड आहर पर्इन सिंचाई का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-192.460 लाख (एक करोड़ बानवे लाख छियालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	जरही, बेलवा हरिनारायणपुर पिण्ड आहर पर्इन सिंचाई का जीर्णोद्धार कार्य	गया	गुरूआ	192.460	224

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर हेनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत कोरवां मुहाने आहर पईन सिंचाई योजना हेतु कुल-139.130 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख तेरह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत कोरवां मुहाने आहर पईन सिंचाई योजना हेतु कुल-139.130 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख तेरह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	कोरवां मुहाने आहर पईन सिंचाई योजना	गया	गया टाऊन सी0डी0 ब्लॉक	139.130	104

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर हेनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ब्य एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-11/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

ज्ञापांक-

480

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

ज्ञापांक-

480

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

ज्ञापांक-

480

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

जवाहर

प्रमुख

सचिव

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत कुसडीहा आहर पर्इन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-167.590 लाख (एक करोड़ सड़सठ लाख उनसठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत कुसडीहा आहर पर्इन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-167.590 लाख (एक करोड़ सड़सठ लाख उनसठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	कुसडीहा आहर पर्इन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	गया	चन्दौती	167.590	96

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि0(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

ज्ञापांक-

481

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

481

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

481

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024

482

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत मनकी आहर(652), शेरपुर आहर(482), अलफू अहरी(482) कोसमा आहर(1079) आहर पर्इन सिंचाई योजना हेतु कुल-129.561 लाख (एक करोड़ उनतीस लाख छप्पन हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत मनकी आहर(652), शेरपुर आहर(482), अलफू अहरी(482) कोसमा आहर(1079) आहर पर्इन सिंचाई योजना हेतु कुल-129.561 लाख (एक करोड़ उनतीस लाख छप्पन हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	मनकी आहर(652), शेरपुर आहर(482), अलफू अहरी(482) कोसमा आहर(1079) आहर पर्इन सिंचाई योजना	गया	चन्दौती	129.561	130

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर हेनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटननिदेश उपलब्ध योजना उद्ध्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि0(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।



6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन



(संगिता सिंह)

ज्ञापांक-

482

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

482

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-

482

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत देवजी आहर पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल- 96.900 लाख (छियानबें लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत देवजी आहर पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-96.900 लाख (छियानबें लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	देवजी आहर पईन का जीर्णोद्धार कार्य	गया	टनकुसा	96.900	72

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर हेनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्घ्वय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि0(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत नीमा आहर(2270) सिंचाई योजना जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-71.317 लाख (इकहत्तर लाख इकतीस हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत नीमा आहर(2270) सिंचाई योजना जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-71.317 लाख (इकहत्तर लाख इकतीस हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	नीमा आहर(2270) सिंचाई योजना जीर्णोद्धार कार्य	गया	चन्दौती	71.317	60

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनानदेश उपलब्ध योजना उद्ब्य एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(संगिता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

ज्ञापांक-

484

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

ज्ञापांक-

484

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

ज्ञापांक-

484

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत मायापुर आहर भौनवा आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-347.400 लाख (तीन करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत मायापुर आहर भौनवा आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-347.400 लाख (तीन करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	मायापुर आहर भौनवा आहर का जीर्णोद्धार कार्य	गया	मोहनपुर	347.400	336

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर हेनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ध्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया हों तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना हों ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत सिंघौल आहर पर्इन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-125.800 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत सिंघौल आहर पर्इन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-125.800 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	सिंघौल आहर पर्इन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	गया	नीमचक बथानी	125.800	96

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि0(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

ज्ञापांक-

486

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

ज्ञापांक-

486

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

ज्ञापांक-

486

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत गनु बिगहा पिरपिगहा मदन विगहा आहर पर्ईन जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-140.645 लाख (एक करोड़ चालीस लाख चौसठ हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत गनु बिगहा पिरपिगहा मदन विगहा आहर पर्ईन जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-140.645 लाख (एक करोड़ चालीस लाख चौसठ हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	गनु बिगहा पिरपिगहा मदन विगहा आहर पर्ईन जीर्णोद्धार कार्य	गया	गुरुआ	140.645	300

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनदेश उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि0(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

ज्ञापांक-

487

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

ज्ञापांक-

487

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

ज्ञापांक-

487

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत बढ़का आहर से दोहर तक, पुरवारी आहर से दरपुर, बेलहर आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-83.643 लाख (तिरासी लाख चौसठ हजार तीन सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत बढ़का आहर से दोहर तक, पुरवारी आहर से दरपुर, बेलहर आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-83.643 लाख (तिरासी लाख चौसठ हजार तीन सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	बढ़का आहर से दोहर तक, पुरवारी आहर से दरपुर, बेलहर आहर का जीर्णोद्धार कार्य	गया	गुरूआ	83.643	200

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर हेनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ध्य एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

ज्ञापांक-

488

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

ज्ञापांक-

488

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक-

07/01/25

ज्ञापांक-

488

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024

489

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत सोनार बिगहा (मंडा) पर्इन जीर्णोद्धार कार्य योजना हेतु कुल-227.930 लाख (दो करोड़ सताईस लाख तिरानवे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत सोनार बिगहा (मंडा) पर्इन जीर्णोद्धार कार्य योजना हेतु कुल-227.930 लाख (दो करोड़ सताईस लाख तिरानवे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	सोनार बिगहा (मंडा) पर्इन जीर्णोद्धार कार्य योजना	गया	गुरुआ	227.930	280

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनदेश उपलब्ध योजना उद्ध्य एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि0(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया /कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत खबड़ा बाड़ा का आहर पर्इन सिंचाई हेतु कुल-68.400 लाख (अड़सठ लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।
आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत खबड़ा बाड़ा का आहर पर्इन सिंचाई हेतु कुल-68.400 लाख (अड़सठ लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	खबड़ा बाड़ा का आहर पर्इन सिंचाई	गया	टनकुप्पा	68.400	64

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर हेनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ध्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि0(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024

प्रेषक,

491

पटना, दिनांक-

07/01/25

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत बेनीविगहा, डोमीनिया, तरोवा पईन तिकरी, बड़की आहर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-411.090 लाख (चार करोड़ ग्यारह लाख नौ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, गया अन्तर्गत बेनीविगहा, डोमीनिया, तरोवा पईन तिकरी, बड़की आहर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल-411.090 लाख (चार करोड़ ग्यारह लाख नौ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	बेनीविगहा, डोमीनिया, तरोवा पईन तिकरी, बड़की आहर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	गया	गुरुआ	411.090	520

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ध्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक-31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक-20.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-09/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-AA/HKKP/गया/947/2024 के पृ0-10/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, गया /कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 07/01/25

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव